न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जिलाः–कटिहार, (बिहार)

Session Trial No.- 221/2008
G.R.No.- 153/1998, CIS No.221/2008

सरकार द्वारा (नरेश मोहन झा पिता स्व0 देवेन्द्र नाथ झा)
सा0 मौ0ः– नया टोला बड़ा बाजार, थानाः– कटिहार,
जिलाः– कटिहार, बिहार। ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. मनोज झा पिता रामनाथ झा, उ0त0 50 वर्ष,
2. किशोर झा पिता रामनाथ झा, उ0त0 55 वर्ष,
3. पुनपुन झा पिता स्व0 लोगेन्द्र नाथ झा, उ0त0 55 वर्ष,
4. तानसेन झा पिता श्री भरत झा, उ0त0 42 वर्ष,

निवासी सा0 मौ0ः– नया टोला, थानाः– कटिहार,
जिलाः– कटिहार, बिहार।..बचाव पक्ष।

थानाः– नगर, कटिहार।
प्राथमिकी संख्याः 32/1998 दिनांक– 22.01.1998।
प्राथमिकी अन्तर्गतः धारा 147,148,448,323,324,307,380 भा0द0वि0।
संज्ञान अन्तर्गतः धारा147,148,452,323,324,307,380/149 भा0द0वि0 एवं 5 आर्म्स एक्ट।
आरोप अन्तर्गतः धारा147,148,452,323,324,307,380/149 भा0द0वि0 एवं 5 आर्म्स एक्ट।
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री............................ सरदार यशवंत सिंह।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः–..श्री अरबिन्द सिंह।
....श्री गुलाब झा।
....श्री रमेश चन्द्र भारती।
....श्री अशोक कुमार कामती।

निर्णय तिथिः 18.04.2026
उपस्थितिः महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

निर्णय

(हस्ताक्षर) 18.04.26

1. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147, 148, 452, 323, 324, 307, 380/149 भा0द0वि0 एवं धारा 5 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप है कि इन्होंने दिनांक 20.01.1998 को शाम के 3:00 बजे अन्य सह अभियुक्तों के साथ एकमत होकर हरवे हथियार के साथ सूचक नरेश मोहन झा के घर में घुंसकर सूचक व उनके परिजनों के साथ मारपीट किये एवं घर के घरेलू सामान एवं सोने चांदी के गहने को ले लिए तथा नकद आठ हजार रूपया लेकर चले गये।
2. अभियोजन कहानी संक्षेप में सूचक नरेश मोहन झा ने दिनांक 22.01.1998 को थाना प्रभारी नगर कटिहार को अपना फर्दबयान दिया है कि आज दिन में मैं अपने घर में था कि करीब तीन बजे में हमारे मुहल्ला के भरत लाल झा, जगदीश झा, पुनपुन झा, नित्यानन्द झा, रामनाथ झा, किशोर झा, मनोज झा, तानसेन झा, सुमन झा, टुनटुन झा उर्फ संतोष झा फरसा, भाला, भुजाली, रॉड और थ्रीनट से लैश होकर मेरे आंगन घर में घुस गये। मैं उस समय अपने आंगन में अपनी पत्नी और लड़का के साथ धूप में बैठा हुआ था। अन्दर घुंसकर उपरोक्त लोग मुझे मेरी पत्नी और लड़के को आंगन में घेर लिया। घेर कर तानसेन झा ने अपने हाथ में लिये फरसा से मेरे पुत्र मुरलीधर झा को सर में मारा। मुझे रामनाथ झा लोहे के रॉड से मारा जो मेरे कमर में लगा। किशोर झा, थ्रीनट लिये खड़े रहे तथा भागने से रोक रहे थे। सुमन झा फरसा से हमें सर पर मारे, किशोर झा लाठी से मेरे पीठ पर मारे। सुमन झा अपने हाथ में लिये भाला से हमारे लड़का मुरली झा को मारा जो पेट एवं जांघ में लगा। मनोज झा अपने हाथ में लिये फरसा हमारे लड़का पर चलाया जो हाथ में लगा। भरत लाल झा के हाथ में भुजाली, टनटुन झा तथा

Scanned with OKEN Scanner

नित्यानन्द झा के हाथ में लोहे का रॉड, जगदीश झा के हाथ में खन्ती था। किशोर झा के हाथ में थ्रीनट था। भरत झा, किशोर झा, टुनटुन झा तथा नित्यानन्द झा हमलोगों को अन्दर आंगन में ही घेरे रहे। किशोर झा बोल रहा था टस–मस करोगे तो गोली मार देगे। अन्य पांच व्यक्ति चन्द्रसेन झा, सुमन झा, रामनाथ झा, मनोज झा और पुनपुन झा मेरे घर में घुंस कर गोदरेज खोल कर नगद 8000/–रूपया था, ले लिया। घर से टी0वी0 टेक्सला, फिलिप्स रेडियो, इमरजेन्सी लाईट, टेबुल घड़ी एक टेबुल पंखा सोने का चैन, सोने का कर्नफुल, सोने का कंगन, सोने का टीका एवं चांदी का पायल कीमत करीब तीस हजार रूपया का ले लिये और घर से निकल गये।

3. सूचक नरेश मोहन झा के फर्दबयान के आधार पर कटिहार नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. भरत लाल झा, 2. जगदीश झा, 3. पुनपुन झा, 4. नित्यानन्द झा, 5. रामनाथ, 6. किशोर झा, 7. मनोज झा, 8. तानसेन झा, 9. सुमन झा, 10 टुनटुन झा उर्फ संतोष झा के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 147,148,448,323,324,307,380 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त मामले को सत्य पाते हुए अभियुक्त नित्यानन्द झा को फरार दिखाते हुए अन्य अभियुक्त 1. भरत लाल झा, 2. जगदीश झा, 3. पुनपुन झा, 4. रामनाथ, 5. किशोर झा, 6. मनोज झा, 7. तानसेन झा, 8. सुमन झा, 9. टुनटुन झा उर्फ संतोष झा के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 147/1999 दिनांक 19.03.1999 न्यायालय में समर्पित किया। न्यायालय में समर्पित आरोप–पत्र के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा आरोपित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 147,148,452,323,324,307,380/149 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया गया तथा मामले को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया।

4. अभियुक्त 1. रामनाथ झा, 2. किशोर झा, 3. मनोज कुमार झा, 4. पुनपुन झा, 5. भरत झा, 6. तानसेन झा एवं 7. सुमन झा के विरूद्ध अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, द्वितीय, कटिहार द्वारा दिनांक 07.07.2011 को धारा 147, 148, 452, 323, 324, 307, 380/149 भा0द0वि0 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन कर खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया, जिससे अभियुक्तों द्वारा इनकार करते हुए विचारण का दावा किया गया है।

5. महत्वपूर्ण है कि मामले के विचारण के दौरान अभियुक्त 1. भरत झा, 2. सुमन झा एवं 3. रामनाथ झा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकिया स्थगित किया गया है।

6. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्तों का बयान दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 सह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता– 2023 की धारा 351 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन के घटनाकम से पूर्णतः इन्कार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताया।

7. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सूचक के घर में घुसकर आयुध के बल पर फरसा, भाला, भुजाली से लैश होकर मारपीट कर सूचक एवं उसके पुत्र को जख्मी कर देने तथा घर का सामान सोने–चॉदी का गहना एवं नगद 8,000/– रूपया लेकर चले जाने के आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

साक्ष्य

8. इस मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को साबित करने के कम में न्यायालय के समक्ष कुल 5 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य कराया गया है, जो कमशः निम्नवत है:–
अभियोजन साक्षी संख्या– 1. डॉ0 यदुबीर मिश्रा (PW-1) चिकित्सक साक्षी।
अभियोजन साक्षी संख्या– 2. सिन्धु देवी (PW-2) पक्षद्रोही साक्षी।
अभियोजन साक्षी संख्या– 3. मुरलीधर झा (PW-3) जख्मी साक्षी सूचक का पुत्र।
अभियोजन साक्षी संख्या– 4. संजय कुमार यादव (PW-4) हितबद्ध जब्तीसूची साक्षी।
अभियोजन साक्षी संख्या– 5. नरेश मोहन झा (PW-5) स्वयं सूचक।

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के कम में दस्तावेजी साक्ष्य

Scanned with OKEN Scanner

के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया गया है:–

प्रदर्श P1/PW-1 जख्म प्रतिवेदन मुरलीधर झा।

प्रदर्श P1/1/PW-1 जख्म प्रतिवेदन नरेन्द्र मोहन झा।

प्रदर्श P2/PW-4 जब्तीसूची पर साक्षी संजय कुमार यादव का हस्ताक्षर।

प्रदर्श P3/PW-5 फर्दबयान पर सूचक नरेश मोहन झा का हस्ताक्षर।

10.इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11.अभियोजन साक्षी संख्या– 1. डॉ0 यदुबीर मिश्रा ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि On 22-01-1998 I was posted at Katihar Railway hospital. On that day I examined Murli Dhar Jha, aged bout 16 years male, s/o Naresh Mohan Jha, R/o mohalla New Tola Katihar. District Katihar

Date and time of examination on 21-01-98 at 5:00 P.M. Place Railway Hospital Katihar .

M.I. - two black mole over the tip of left sixth rib.

I- Stab injury right thigh and medial side, approx 5" above midial contyle of femur. Size 2"x1"x muscle deep margin sharp, red blood clot over margins and floor cowered with Haematoma.

II- Lacerted wound over scalp approx 3" posterior to hair line right lateral from mid line situated over frontal bone size 3"x1/2"x bone deep margin sharp red blood clot over margin.

III- Lacerated wound over right iliac fossa just above right anterior superior. iliac spine size 1/2"x1/2"x skin deep .

IV- Swelling over right thigh with duration and tenderness over into lateral aspect.

V- Lacerted wound right thumb over lateral aspect size 1"x1/2" into margin lacerated floor cowered with Red blood clot.

VI- Lacerated wound over posterior aspect of left elbow size 2"x1" into skin deep margin lacerated with red blood clot.

Nature- of weapon no sharp end heavy. No 2 blunt and hard . Duration of injury less than six hours.

Nature of inury- After operative finding.

(2) On 22-01-1998 I examined Naresh Mohan Jha, aged about 40 years, male. Address private house new Tola badi Bazar Katihar.

date and time of examination 22-01-1998 at 5:00 P.M.

Place Railway hospital Katihar.

M.I. Scar mark of wound over mid of shin of left tibia.

Injuries:- I- Lacerated wound over midial end of right eyebrow obliquually place. Size approx 3"x1/4"xskin deep.

Margin lacerated x floor cowered with red blood clot.

II- Tender swelling over lateral size of left nostril with red blood clot on the left nostril.

X- Ray P.N.S. view pate no 2346 dated 23-01-98 fracture nasal bone. Du-

ration of injury less than six hour.

Nature of injury grievous. Nature of weapon- blunt and hard.

Above both of injury report in my writting and my signature. It marked as exbit P1/PW-1 and P1/1/PW-1.

He has stated in his cross examination that before these injury reports I was examined so many person. and submitted injury reports in that respect. The injury report prepared on chambere from bed head ticket. This type of injuries may be possible coused due to bear down from the running train over the track.

12.अभियोजन साक्षी संख्या– 2. सिंधु देवी (PW-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना के संबंध में कोई जानकारी होने की बात से इनकार किया है तथा कथन किया है कि नरेश मोहन झा मेरे गोतिया हैं और मुदालहगण भी सभी दयाद हैं। साक्षी ने पुलिस द्वारा बयान लिये जाने की बात से इनकार किया है तथा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों की पहचान किया है। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा किये गये जिरह में अभियुक्तों के मेल में आकर सच्ची बात को छिपाने की बात से इन्कार किया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह अपनी स्वेच्छा से न्यायालय में बयान दिया है।

13.अभियोजन साक्षी संख्या– 3. मुरलीधर झा (PW-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इस केस के सूचक मेरे पिताजी हैं। घटना 22.01.1998 की है। समय सायं के तीन बज रहे थे। घर में मैं तथा बाबूजी एवं माँ घर के आंगन में बैठे थे। अचानक रामनाथ झा, किशोर झा, मनोज झा, भरत लाल झा, तानसेन झा, सुमन झा, जगदीश झा, नित्यानन्द झा, पुनपुन झा, संतोष झा ये सभी आये। सभी के हाथ में रॉड, खन्ती, भुजाली, भाला, फरसा, थीनट था। वे लोग हम तीनों को घेर लिये। तानसेन झा मेरे सिर पर फरसा से मारा, सुमन झा भी फरसा से मारा सिर पर लगा। भाला से मेरे जांघ पर कौन मारा याद नहीं है। बाबू जी को सिर, भौंह, नाक, कमर, हाथ में मारा। उसके साथ किशोर झा कह रहा था कि गोली मार देंगे, अगर कोई टसमस किया। तीन चार आदमी हम लोगों के पास रहे। बाकी आदमी भी अन्दर घुंस कर गोदरेज से रूपया जेवरात वगैरह ले गये। रूपया आठ हजार जो कि माँ का था चेन, कर्नफुल, टीका, पायल, कंगन और भी जेवर ले गया याद नहीं है। टी0बी0 एक, इमरजेन्सी लाईट, टेबुल पंखा, रेडियो और सभी सामान ले गया होगा, याद नहीं है। जख्मी हालत में पेट्रोलिंग वाले रेलवे अस्पताल ले गये। मेरा तथा बाबूजी का ईलाज हुआ। मेरी हालत को देखते हुए मेरा बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ। बयान होने के बाद सुनाया गया। मैंने टिप्पा दिया था। आज उपस्थित मुदालह तानसेन झा, भरत झा, रामनाथ झा, तीन आये हैं बाकी को देख कर पहचान लूंगा।

इंन्होंने बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुदालहगण सभी गोतिया हैं। हमलोगों के बीच 5–7 केस चल रहे होंगे। हम सभी लोग में जजमान हैं। शादी कराते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जजमानी को लेकर सभी केस हुए हैं। अभी भी मुदालहगण तथा मेरे बीच में दुश्मनी है। मुदालहगण मेरे आंगन में एक साथ घुस गये। मेरा घर जहां हैं वहां आसपास बहुत लोगों का घर है। सभी आदमी आये। अचानक मारने लगे तो हम लोग हल्ला किये। हल्ला पर कोई आदमी नहीं आया। हम मारपीट से बेहोश नहीं हुए थे तथा मेरी आंखें बन्द नहीं हुई थी। मेरे घर के उत्तर में गली एवं उसके बाद भरत झा का घर है। दक्षिण में मेरा अपना निजी उसके बाद लीलानन्द झा, पूरब में रोड, पश्चिम– राम गोपाल शर्मा का मकान। फरसा से मेरा सिर पूरा कट गया था। काफी खून बह गया था। मैं इसके बाद भी होश– हवाश में था और लोगों ने रॉड, भाला से मार कर जख्मी कर दिया था। मारपीट पांच दस मिनट तक चली। उसके बाद सभी सामान वगैरह लेकर चले गये। पुलिस पेट्रोलिंग डेढ़ घंटा बाद मुझे अस्पताल ले गयी। इस बीच में संजय, अनिल कुशवाहा, सिन्धु देवी वगैरह आये। अभियुक्त रामनाथ झा ने बेटी के अपहरण का केस किया था। मैं उसमें मुदालह था। सत्र वाद संख्या–

Scanned with OKEN Scanner

362/2005 था, जिसमें सजा हुई है। ऐसी बात नहीं है कि आपसी दुश्मनी के चलते एक दूसरे पर केस करते हैं तथा तथाकथित घटना सही नहीं है।

14.अभियोजन साक्षी संख्या– 4. संजय कुमार यादव (PW-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 10–12 साल पुरानी है। 22.01.1998 समय तीन बजे दिन का था। मैं उस समय स्कूल से आ रहा था। जब नया टोला घर के सामने पहुंचा तो नरेश झा के घर हल्ला सुना, सुनकर घर के अन्दर गये तो देखा कि उसके पैर में भाला लगा हुआ था। वह खून से लथपथ था। उसके पिता नरेश झा को भी जख्मी देखे। ये दोनों को जख्मी हालत में देखे। जख्म होते नहीं देखा। उसके घर 8–10 आदमी को निकलते देखा। उसमें तानसेन झा, भरत झा, रामनाथ, किशोर झा, पुनपुन झा को पहचाना और पुलिस आयी, कपड़ा–लत्ता गंजी, जांघिया पैन्ट, शर्ट जब्त किया। पैन्ट, शर्ट, जांघिया मुरली झा का था। खून से लथपथ था। इसलिए पुलिस जब्त की। सभी सामान जब्त किया गया तथा जब्तीसूची बना उस पर मेरा हस्ताक्षर है तथा अन्य गवाह अनिल कुमार कुशवाहा ने हस्ताक्षर बनाया। मैं अपना हस्ताक्षर पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–P2/PW-4 अंकित करें। मुदालहों को पहचानता हूँ। आज भरत झा, रामनाथ झा, पुनपुन झा एवं तानसेन झा आये हैं। इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मारवाड़ी पाठशाला में पढ़ा हूँ। मैं मारवाड़ी पाठशाला में कब दाखिला लिया था, मालूम नहीं है। मारवाड़ी पाठशाला से रामनगर की दूरी आधा किमी लगभग होगी। मारवाड़ी पाठशाला से मेरा घर पूरब दिशा में पड़ता है। मारवाड़ी पाठशाला से मेरे घर जाने का वही अकेला मुख्य मार्ग नहीं है, बल्कि और भी रास्ते हैं। मारवाड़ी पाठशाला से नरेश झा का घर दक्षिण दिशा में 10–15 गज दूर है। जाने में पांच मिनट लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मारवाड़ी पाठशाला से नरेश झा का घर आधा किमी दूर है। घटना के दिन मैं स्कूल से नया टोला होते हुए मास्टर साहेब नरेश साह के यहां हिसाब लेने जा रहा था। मारवाड़ी पाठशाला से गड़ेरी टोला जाने के लिए मुख्य सड़क नहीं है। मेरे सामने मारपीट नहीं हुई। मेरे सामने कपड़ा–लत्ता भाला वगैरह जब्त किया तब जब्तीसूची पर दस्तखत किया। वह कपड़ा मुरलीधर झा का था। मुरली झा मेरे समक्ष बोला था। जब्त कपड़ा इस समय मरे समक्ष नहीं है। नरेश झा के तरफ से मैं अन्य किसी केस में गवाह नहीं हूँ। मुदालह रामनाथ के लड़की के अपहरण एवं बलात्कार कांड के केस सत्र वाद संख्या– <u>362/2005</u> में मुझे सजा हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि सूचक के मेल में आकर सच्ची बात छुपा रहा हूँ तथा झूठी गवाही दे रहा हूँ।

15.अभियोजन साक्षी संख्या– 5. नरेश मोहन झा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.01.1998 को सवा तीन बजे दिन में मैं अपने घर में था। भरत झा, तानसेन झा, नित्यानंद झा, सुमन झा, रामनाथ झा, किशोर झा, मनोज झा सभी मेरे घर में घुंस गये। फरसा, भाला, पिस्तौल, गुप्ती, भुजाली लिये थे। सभी बोले कि मुकदमा उठा लो। मुकदमा नहीं उठाओगे तो हत्या कर देंगे। किशोर झा, मनोज झा हमें रॉड से मारा। मेरे कमर में मारा। मेरी पत्नी को लाठी से मारा। टुनटुन झा अटैची लेकर चला गया। अटैची में नगद आठ हजार रूपया तथा जेवरात था। मैं जख्मी हालत में रेलवे अस्पताल गया। पुलिस अस्पताल में मेरा बयान लिया। घर पर भी पुलिस बयान ली थी। अभियुक्तों को मैं देखकर पहचान लूंगा। जप्तीसूची मेरे सामने बना था। दारोगा भाला, फरसा, कपड़ा जप्त किये थे। गवाहन संजय कुमार यादव और अनिल कुमार कुशवाहा का दस्तखत दारोगाजी जब्तीसूची पर लिये थे। इस फर्दबयान पर यह मेरा दस्तखत है। इसे मैं पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–P-2/1/PW-5 चिन्हित किया जाता है। प्रतिपरीक्षण हेतु अभियुक्त या उसके विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण गवाह को उन्मुक्त किया गया।

<u>अभियोजन की ओर से बहस</u>

16.अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा है कि सूचक नरेश मोहन झा के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटिहार थाना कांड संख्या– 32/1998 दिनांक 22.01.1998 भा0द0वि0 की धारा 147,148,452,323,324,307,380,149 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त अभियुक्त 1. भरत लाल झा, 2. जगदीश झा, 3. पुनपुन झा, 4. रामनाथ झा, 5. किशोर झा, 6.

Scanned with OKEN Scanner

मनोज झा, 7. तानसेन झा, 8. सुमन झा एवं 9. टुनटुन झा उर्फ संतोष झा के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 147/1999 दिनांक 19.03.1999 न्यायालय में समर्पित किया गया था। मामले को संज्ञानोपरान्त दौरासुपुर्द किये जाने के पश्चात् अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड विधि की धारा 147,148,452,323,324,307,380/149 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है तथा मामले में अभियुक्त मनोज झा, किशोर झा, पुनपुन एवं तानसेन झा उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोपित हैं एवं विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियोजन की ओर से अभियोजन कहानी के समर्थन में सूचक नरेश मोहन झा न्यायालय में उपस्थित होकर फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है और फर्दबयान को साबित किया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 3. मुरलीधर झा सूचक के पुत्र एवं जख्मी साक्षी तथा अभियोजन साक्षी संख्या– 4. संजय कुमार यादव ने अपने परीक्षण में संपूर्ण घटना का समर्थन किया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 4 संजय कुमार ने जब्तीसूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है और जब्ती–सूची को साबित किया है। मामले के चिकित्सक यदुवीर मिश्रा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जख्म प्रतिवेदन पर अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान किया है, जिसके आधार पर जख्मी मुरलीधर झा के जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श– P1/PW-1 तथा जख्मी नरेश मोहन झा के जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श– P1/1/PW-1 अंकित किया गया है। अभियोजन की ओर से साक्षियों ने संपूर्ण अभियोजन कहानी को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तों को आरोपित धाराओं में वर्णित अधिकतम दंड से दंडित किया जाये।

<u>बचाव पक्ष की ओर से बहस</u>

17.बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने–अपने बहस में अभियुक्तों का बचाव करते हुए कथन किया है कि सूचक द्वारा पूर्व दुश्मनी को लेकर यह झूठा वाद दाखिल किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियोजन कहानी को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सिंधु देवी झा ने बयान दिया है कि नरेश मोहन झा उसके गोतिया हैं तथा अभियुक्तगण दयाद हैं, परन्तु इस साक्षी ने किसी भी घटना के संबंध में जानकारी होने तथा पुलिस द्वारा बयान लिये जाने की बात से इन्कार किया है। अभियोजन द्वारा सूचक का मुख्य परीक्षण कराया गया है, परन्तु सूचक प्रतिपरीक्षण के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, जिसके कारण बचाव पक्ष को उसके बचाव का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मामले में दिनांक 07.07.2011 को आरोप का गठन किया गया, जिसके बाद वर्ष 2025 में अभियोजन साक्ष्य बन्द किया गया है। अभिलेख वर्ष 2011 से वर्ष 2025 तक अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत रहा है, परन्तु अभियोजन द्वारा सूचक का प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया है और न हीं अनुसंधानकर्ता और अन्य साक्षियों का बयान दर्ज कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 3. मुरलीधर ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घर में मैं तथा बाबूजी एवं माँ घर के आंगन में बैठे थे, परन्तु बाबूजी एवं माँ का न्यायालय में परीक्षण नहीं कराया गया है। सूचक नरेश मोहन झा ने बयान दिया है कि उसे किशोर झा एवं मनोज झा रॉड से कमर में मारा तथा मेरी पत्नी को लाठी से मारा, परन्तु नरेश मोहन झा के जख्म प्रतिवेदन के अनुसार उसके भौं एवं नाक पर जख्म पाया गया है। उसके कमर में कोई जख्म नहीं पाया गया है। उसकी पत्नी का कोई जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन साक्षी मुरलीधर झा के मुख्य परीक्षण के अनुसार अभियुक्तों ने उसके बाबूजी अर्थात् सूचक नरेश मोहन झा को सिर, भौं, नाक, कमर एवं हाथ में मारा, परन्तु नरेश मोहन झा के सिर पर भी कोई जख्म नहीं पाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 4. संजय कुमार यादव ने बयान दिया है कि उनके सामने मारपीट नहीं हुई थी तथा वह नरेश झा के घर गया तो देखा कि नरेश झा के पैर में भाला लगा हुआ था, परन्तु यह साक्षी बयान में यह भी कहा है कि जख्म होते नहीं देखा। अर्थात् अभियोजन साक्षी संख्या– 4. घटना का अनुश्रुत साक्षी है। इसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये साक्षियों ने मामले को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। बचाव पक्ष का दावा है कि मामले के सह अभियुक्त रामनाथ झा द्वारा दाखिल सत्र वाद संख्या– <u>362/2005</u> में सजा होने

Scanned with OKEN Scanner

के कारण बनावटी जख्म बनाकर झूठा केस दाखिल किया गया है। अतः न्याय हित में अभियुक्तों को आरोपित धाराओं से दोषमुक्त किया जाये।

साक्ष्य विश्लेषण

18.अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों की गहन विवेचना एवं मीमांषा इस वाद में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप के आलोक में करूंगा। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि इस मामले में विचाराधीन अभियुक्तगण भारतीय दंड विधि की धारा 147,148,452,323,324,307,380/149 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियुक्तों पर आरोप है कि वे फरसा, भाला, भुजाली, रॉड और थ्रीनट से लैश होकर सूचक के आंगन में घुंस गये तथा आंगन में उसकी पत्नी और लड़के को घेर कर फरसा, लोहे के रॉड से मारपीट किये तथा थ्रीनट एवं अवैध अस्त्र का भय दिखाकर सूचक के घर में से टी0वी0 टेक्सला, फिलिप्स रेडिया, इमरजेंसी लाईट, टेबुल घड़ी, टेबुल पंखा, सोने का चेन, कर्नफुल, कंगन, टीका एवं चांदी का पायल कीमत 30,000/– रूपया तथा गोदरेज आलमारी खोलकर 8000/– रूपये लेकर चले गये। अभियोजन की ओर से स्वयं सूचक अभियोजन साक्षी संख्या–5 के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुआ है, जिसका मुख्य परीक्षण दर्ज किया गया है तथा प्रतिपरीक्षण के लिए विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण उसे मुक्त किया गया है। विचारण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से सूचक का प्रतिपरीक्षण करने के लिए आवेदन दिया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए उसके न्यायालय में परीक्षण हेतु साक्षी के रूप में उपस्थिति हेतु प्रकिया निर्गत किया गया, परन्तु सूचक प्रतिपरीक्षण के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे बचाव पक्ष को अभियोजन साक्षी संख्या– 5. नरेश मोहन झा स्वयं सूचक के प्रति बचाव का अवसर प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में सूचक नरेश मोहन झा का मुख्य परीक्षण महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है।

19.प्राथमिकी आवेदन के अनुसार मामले में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों में अभियुक्त मनोज झा पर आरोप है कि उसने फरसा से सूचक के पुत्र मुरलीधर झा के सिर पर मारा तथा अभियुक्त तानसेन झा पर आरोप है कि उसने भी फरसा से सूचक के पुत्र मुरलीधर झा के सिर पर मारा था। सूचक के पुत्र मुरलीधर झा शरीर पर पाये गये जख्म को चिकित्सक के बयान के आधार पर प्रदर्श– P1/PW-1 अंकित किया गया है। प्रदर्श– P1/PW-1 के अवलोकन से विदित है कि उसके शरीर पर जख्म I- Stab injury right thigh and medial side, approx 5" above midial contyle of femur. Size 2"x1"x muscle deep margin sharp, red blood clot over margins and floor cowered with Haematoma.

II- Lacerted wound over scalp approx 3" posterior to hair line right lateral from mid line situated over frontal bone size 3"x1/2"x bone deep margin sharp red blood clot over margin.

III- Lacerated wound over right iliac fossa just above right anterior superior. iliac spine size 1/2"x1/2"x skin deep .

IV- Swelling over right thigh with duration and tenderness over into lateral aspect.

V- Lacerted wound right thumb over lateral aspect size 1"x1/2" into margin lacerated floor cowered with Red blood clot.

VI- Lacerated wound over posterior aspect of left elbow size 2"x1" into skin deep margin lacerated with red blood clot.

Nature- of weapon no sharp end heavy. No 2 blunt and hard . Duration of injury less than six hours. पाया गया है। मुरलीधर झा के सिर पर एकमात्र जख्म पाया गया है, जबकि मनोज झा एवं तानसेन झा दोनों पर उसके सिर पर फरसा से मारने का आरोप है। अभियुक्त किशोर झा पर आरोप है कि वह थ्रीनट लिए खड़ा था, उस पर यह भी आरोप है कि उसने सूचक के पीठ पर लाठी से मारा था। मामले में संपूर्ण अनुसंधान के दौरान कोई थ्रीनट बरामद नहीं किया गया है और सूचक का जख्म प्रतिवेदन प्रदर्श– P1/1/PW-1 अंकित किया गया है। प्रदर्श– P1/1/PW-1 से विदित है कि सूचक के पीठ पर कोई चोट नहीं पाया गया है और न हीं पीठ में किसी दर्द की शिकायत किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी साक्षी ने घटना को

Scanned with OKEN Scanner

अपनी आंखों से देखने की बात नहीं कहा है। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान नहीं कराया गया है। अभियोजन का सामना कर रहे अभियुक्त मनोज झा एवं पुनपुन झा पर घर में घुसकर अन्य अभियुक्तं के साथ गोदरेज खोलकर नगद 8000/–रूपया के लेने तथा घर से टी0वी0, रेडियो, लाइट, घड़ी, पंखा, सोने एवं चांदी के जेवरात लेकर घर से निकल जाने की बात कही है। अनुसंधानकर्ता द्वारा जब्त किये सामान की जब्तीसूची बनाया गया था, जिसे प्रदर्श – P2/PW-4 अंकित किया गया है। प्रदर्श– P2/PW-4 से विदित है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा शर्ट, पैंट, जांघिया, सूचक के लड़के का जब्त किया गया था तथा साथ में ही भाला लोहे का एवं फरसा बरामद किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा बरामद सभी सामान को नरेश मोहन झा द्वारा उसे सुपुर्द किया गया था अर्थात् अनुसंधानकर्ता द्वारा बरामद लोहे का भोला एवं फरसा किसी अभियुक्त के घर से अभियुक्त के पास से अथवा अभियुक्त के निशानदेही पर नहीं बरामद किया गया है, अपितु उसे स्वयं सूचक द्वारा अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त लोहे के भाले एवं फरसा का उपयोग सूचक एवं उसके पुत्र के विरूद्ध अभियुक्तों द्वारा किया गया था, संदेहास्पद हो जाता है। सूचक अथवा सूचक के पुत्र या किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्तों से लोहे के भाले अथवा फरसा को छीनने की बात भी संपूर्ण बयान में नहीं कहा गया है। अब जहां तक सूचक के घर से आठ हजार रूपया, घरेलू सामान एवं सोने चांदी के गहने लेकर चले जाने का आरोप है तो स्वयं सूचक द्वारा मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि टुनटुन झा अटैची लेकर चला गया था, जिसमें आठ हजार रूपया था, जबकि जख्मी साक्षी मुरलीधर झा न मुख्य परीक्षण में गोदरेज में रूपया जेवरात, पायल, चेन, कर्नफूल, टीका एवं टी0वी0, लाईट, पंखा रेडियो लेकर चले जाने की बात कहा है और अभियोजन साक्षी संख्या–4 संजय कुमार यादव ने बयान दिया है कि मैंने मुरलीधर झा एवं रामनरेश झा को जख्मी हालत में देखा। जख्म होते नहीं देखा। उसके घर से 8–10 आदमी को निकलते देखा था, जिसमें तानसेन झा, भरत झा, रामनाथ झा, किशोर झा, पुनपुन झा को पहचाना और उसके बाद पुलिस आयी तथा कपड़ा–लत्ता, पैंट शर्ट, गंजी, जांघिया जब्त किया। इस साक्षी द्वारा जिरह में कहा गया है कि मेरे सामने मारपीट नहीं हुई थी। कपड़ा–लत्ता–भाला वगैरह जब्त किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं प्रदर्श– P1/PW-1, प्रदर्श– P1/1/PW-1, प्रदर्श– P2/PW-4 एवं प्रदर्श– P3/PW-5 के विश्लेषण के आधार पर यह नहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्तों, द्वारा सूचक एवं उसके पुत्र पर जानलेवा हमले को अभियोजन साबित करने में सफल हुआ है तथा घरेलू सामान एवं गहने को भी अभियुक्तों की अभिरक्षा से बरामद नहीं किया गया है, जबकि अभियुक्त एवं सूचक दोनों एक ही वार्ड के रहने वाले हैं, परन्तु मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस बात का भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कोई घटना हुई ही नहीं है, जबकि सूचक के घर से खून लगा कपड़ा बरामद किया गया है, परन्तु उक्त खून लगे कपड़े का सूचक एवं उसके खून का ही होने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, परन्तु अभियुक्तों को सूचक के घर से निकलते देखा गया है तथा बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20. मामले के उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि मामला वर्ष 2011 से 2025 तक अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत रहा है, परन्तु अभियोजन द्वारा मामले के अनुसंधानकर्ता एवं अन्य साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में नहीं कराया गया है। जब्तीसूची से विदित है कि लोहे का भाला एवं फरसा अनुसंधानकर्ता को सूचक द्वारा प्राप्त कराया गया है तथा सूचक मुख्य परीक्षण के बाद प्रतिपरीक्षण के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। न्यायालय में परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–3 मुरलीधर झा एवं अभियोजन साक्षी संख्या 4 संजय कुमार यादव द्वारा न्यायालय में परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि मामले के अभियुक्त रामनाथ झा द्वारा उसकी बेटी के अपहरण के लिए दाखिल सत्र वाद संख्या– 362/2005 में उन्हें सजा हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संजय कुमार यादव हितबद्ध साक्षी हैं। सूचक के न्यायालय में प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं होने से अभियुक्तों का प्रतिरक्षा का अवसर प्रभावित हुआ है तथा मामले के लम्बे अवधि तक अभियोजन साक्ष्य के लिए लंबित रहने के बावजूद भी अभियोजन द्वारा मामले में

Scanned with OKEN Scanner

अनुसंधानकर्ता का परीक्षण न्यायालय में नहीं कराया गया है। इस प्रकार जब्तीसूची से विदित है कि लोहे का भाला एवं फरसा अनुसंधानकर्ता को सूचक द्वारा प्राप्त कराया गया है तथा सूचक मुख्य परीक्षण के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है तथा न्यायालय में परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या– 3. मुरलीधर झा एवं अभियोजन साक्षी संख्या– 4. संजय कुमार यादव के बयान के अनुसार मृतक अभियुक्त रामनाथ झा ने अपने बेटी के अपहरण के लिए सत्र वाद संख्या– 362/2005 दाखिल किया था, जिसमें उनको सजा हुई थी। इस प्रकार यह दोनों साक्षी आपस में हितबद्ध साक्षी हैं तथा सूचक द्वारा दिये गये फर्दबयान के अनुरूप न्यायालय में साक्ष्य नहीं दिया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सिंधु देवी के बयान के अनुसार सूचक उसका गोतिया है तथा अभियुक्तगण दयाद हैं, परन्तु उसने घटना के संबंध में कोई जानकारी होने की बात से इन्कार किया है। मात्र चिकित्सक के बयान एवं चिकित्सा प्रतिवेदन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, तदनुसार अभियोजन मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है।

21. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि अभियोजन मामले में अभियुक्त मनोज झा, किशोर झा, पुनपुन झा एवं तानसेन झा के विरूद्ध आरोपित धारा 147, 148, 452, 323, 324, 307, 380/149 भा0द0वि0 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे सावित करने में असफल रहा है, तदनुसार अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने के हकदार हैं। फलतः आदेश पारित किया जाता है:–

आदेश

प्रस्तुत मामले के अभियुक्त 1. मनोज झा, 2. किशोर झा, 3. पुनपुन झा, 4. तानसेन झा को धारा 147, 148, 452, 323, 324, 307, 380/149 भा0द0वि0 एवं 5 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। जमानत प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभुओं को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,नवम्, कटिहार।
दिनांक 18.04.2026

यह निर्णयादेश मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,नवम्, कटिहार।
दिनांक 18.04.2026

Scanned with OKEN Scanner

In the court of Addl.Sessions Judge - IX, Katihar.

District:- Katihar (Bihar)

Present:- Mahendra Prasad Yadava

Judgment Date:- 18-04-2026

Session Trial No.- 221/2008

G.R.No.- 153/1998. C.I.S.No- 221/2008

Katihar P.S. Case No.- 32/1998
F.I.R. U/Sec.- 147,148,448,323,324,304,307,380 of the IPC
(Cognizance U/Sec.- 147,148,448,323,324,304,307,380/149 of the IPC and U/sec. 27 of Arms Act.
Charge U/Sec.- 147,148,448,323,324,304,307,380/149 of the IPC and U/sec. 27 of Arms Act.

Informant	Naresh Mohan Jha S/o Shri Davendra Nath Jha Residing at village- Naya Tola Bada Bazar, P.S- Nagar , District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Addl. P.P. Sardar Yashwant Singh
Accused:-	1. Manoj Jha S/o Ram Nath Jha, Aged about 50 Yrs. 2. Kishore Jha S/o Ram Nath Jha, Aged about 55 Yrs. 3. Punpun Jha S/o Logendra Nath Jha, Aged about 55 Yrs. 4. Tansen Jha S/o Shri Bharat Jha, Aged about 42 Yrs. Resididng at village – Naya Tola, P.S.- Nagar Katihar, District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Adv. Shri Arbind Singh Ld. Adv. Shri Gulab Jha Ld. Adv. Shri Ramesh Chandra Bharti Ld. Adv. Shri Ashok Kumar Kamati

FORM-B

Date of Offence	22-01-1998
Date of Complaint	22-01-1998
Date of Chargesheet	19-03-1999
Date of Framing of Charges	07-07-2011
Date of Commencement of evidence	03-09-2013
Date on which Judgement is reserved	16-04-2026
Date of Judgment	18-04-2026
Date of Sentencing Order, if any	None

Accused Details:

Accused Rank	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period Detention Undergone During trial for Purpose of section428, Cr.PC
1	Manoj Jha	30-03-2008	11-04-2008	U/Sec. 147,148,448,323,324,304,307, 380/149 of the IPC and U/sec. 27 of Arms Act.	Acquitted	None	None
2	Kishore Jha	27-01-1998, 30-03-2008, 31-12-2019	28-03-1998, 11-04-2008, 08-01-2020	U/Sec. 147,148,448,323,324,304,307, 380/149 of the IPC and U/sec. 27 of Arms Act.	Acquitted	None	None
3	Punpun Jha	27-01-1998, 30-03-2008	28-03-1998, 11-04-2008	U/Sec. 147,148,448,323,324,304,307, 380/149 of the IPC and U/sec. 27 of Arms Act.	Acquitted	None	None
4	Tansen Jha	27-01-1998, 20-05-2008	28-03-1998, 23-05-2008	U/Sec. 147,148,448,323,324,304,307, 380/149 of the IPC and U/sec. 27 of Arms Act.	Acquitted	None	None

महेन्द्र प्रसाद यादव 18.04.2026

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX Katihar
Date:- 18-04-2026

Scanned with OKEN Scanner

Present: M.P.Yadava, Distt. & Addl.S.J- IX, Katihar, Court No.-10
S.T. No- 221/2008 , Katihar P.S. Case No.- 32/1998, G.R.No.- 153/1998

APPENDIX

In the court of Addl.Sessions Judge - IX, Katihar.

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
PW- 1.	Dr. Yaduveer Mishra	Doctor witness
PW- 2.	Sindhu Devi	Hostile Witness
PW- 3.	Murlidhar Jha	Injured Witness
PW- 4.	Sanjay Kumar Yadav	Interested witness
PW- 5.	Naresh Mohan Jha	Informant

B. Defence Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

C. Court Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTEXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P-1/PW-1	Injury report of injured Murlidhar Jha
2.	Exhibit P-1/1/PW-1	Injury report Informant Naresh Mohan Jha
3.	Exhibit P-2/PW-4	Signature of Sanjay Kumar Yadav on Seizure List.
4.	Exhibit P-3/PW-5	Signature of informant Naresh Mohan Jha on Fardbeyan

B. Defense:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	None	None

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	None	None

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1.	None	None

18-04-2026
(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX Katihar
Date:- 18-04-2026

Scanned with OKEN Scanner